न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2022/375
मुकदमा नम्बर 80/2022 दायर दिनांक--07.07.2022

परमेश्वरी पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी बसावा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. बबीता पत्नी छोटूराम
2. संतोष पुत्री हीरालाल
3. गीता पत्नी हीरालाल
4. किशोर पुत्र हीरालाल
5. विजय पुत्र हीरालाल
6. संदीप पुत्र हीरालाल
7. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल
8. कमलेश पुत्री हीरालाल
9. किशोर पुत्र शंकरलाल
10. राकेश पुत्र शंकरलाल
11. नानी देवी पुत्री शंकरलाल
12. छोटी देवी पुत्री शंकरलाल
13. नेमीचन्द पुत्र शंकरलाल
14. सुनिता पुत्री शंकरलाल
15. मंजू पुत्री बनवारी
16. मनोज पुत्र बनवारी
17. ममता पुत्री बनवारी
18. भाना देवी पत्नी बनवारी
19. सुभाष पुत्र बनवारी
20. सीमा पुत्री बनवारी
21. निवाशचन्द पुत्र नागर समस्त मेघवाल निवासी बसावा,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
22. ग्राम पंचायत बसावा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बसावा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
23. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़
24. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसावा तहसील नवलगढ

.........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक--श्री सुरेन्द्र बरवाल
अनावेदकगण 1लगा.22,24 -- एक पक्षीय
अनावेदक 23 -- पैरो. राज.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

:–निर्णय–:

दिनांकः–17 / 06 / 2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम बसावा में स्थित प्रार्थीया की भूमि खसरा नं. 939 रकबा 0.40 है0 में से आने जाने के लिये खसरा नं. 938 रकबा 0.73 है0 में प्रा. पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 12 फीट चौडा रास्ता नवलगढ से गोल्याणा सडक पर दिया जावे।

प्रा.पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदगण सं. 1 लगा. 22,24 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने से इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक सं. 23 की और से पैरो. राज उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ की और से रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/86 दिनांक 22.02.2024 पेश हुई। जिसके अनुसार खसरा नं. 938 व 939 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 भूमि आवेदक व अनावेदकगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। खसरा नं. 770 राजस्व रिकार्ड में गे.मु. जोहड है, जिस पर वर्तमान मे पक्की डामर सडक बनी हुई है। खसरा नं. 1437/937 आबादी भूमि है। नजरी नक्शे मे ====डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ रास्ता 11फीट का मौके पर चालू है।

बहस प्रा. पत्र एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी संवत् 2075–2078 में आवेदक द्वारा जिस भूमि के लिये रास्ता चाहा है वह तथा जिस भूमि से रास्ता चाहा है वह भूमि आवेदक व अनावेदगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। आवेदक अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाये, विभाजन में माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 के अनुसरण में रास्ता काटकर ही विभाजन होना है। इसलिये उक्त प्रा. पत्र में चाहे गये अनुतोष में 251(क) आर.टी.ए. के प्रावधान लागू नही होते है। प्रा. पत्र पोषणीय नही होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 17/06/2025 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू